झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग

पत्रांक – प0नि0वि0/06–योजना–60/2025 – 1055(S)

दिनांक– 12/03/2026

स्वीकृत्यादेश

सेवा में,

प्रधान महालेखाकार (ले0 एवं ह0),
झारखण्ड,
हिनू, रांची।

विषयः– **पथ प्रमण्डल, सिमडेगा अन्तर्गत ''बिरू से रामरेखाधाम के चैनेज 3+000 कि0मी0 (Span-11x24.8 m) में पलमारा नदी पर उच्चस्तरीय सेतु निर्माण कार्य (भू–अर्जन सहित)'' हेतु कुल राशि रू0 15,56,91,000/– (पंद्रह करोड़ छप्पन लाख इक्यानवे हजार रू0) मात्र के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।**

आदेशः– उपर्युक्त कार्य के लिए कुल राशि रू0 15,56,91,000/– (पंद्रह करोड़ छप्पन लाख इक्यानवे हजार रू0) मात्र की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. विषयगत प्रस्ताव पथ प्रमण्डल, सिमडेगा अंतर्गत बिरू–तामड़ा–सिकरियाटांड़–रामरेखाधान पथ के चैनेज 3+000 कि0मी0 में पलमारा नदी पर उच्चस्तरीय सेतु निर्माण (Span-11x24.8 m) कार्य से संबंधित है। उक्त चैनेज में स्थित पूर्व से निर्मित पुल क्षतिग्रस्त होने के कारण बीरू एवं अन्य गांवों के बीच यातायात बाधित हो गया है। यह पथ सिमडेगा जिले का एक महत्वपूर्ण पथ है, जो बीरू, तामड़ा, सिकरियाटांड़, पाकड़टांड़, केशलपुर, नानेसेरा को रामरेखाधान होते हुए छत्तीसगढ़ अंतर्राज्यीय सीमा पथ को जोड़ती है। यह क्षेत्र व्यवसायिक एवं कृषि प्रधान है। साथ ही, धार्मिक स्थल रामरेखाधाम में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर हर वर्ष भव्य मेले का आयोजन होता है, जिसे इस वर्ष से राजकीय महोत्सव का दर्जा दिया गया है। यातायात के सुगम संचालन हेतु उक्त पथ के चैनेज 3+000 कि0मी0 (Span-11x24.8 m) में पलमारा नदी पर उच्चस्तरीय सेतु कार्य कराया जाएगा।

3. इस निर्माण कार्य में होने वाला व्यय झारखण्ड सरकार के पथ निर्माण विभाग के माँग संख्या–41–राज्य स्कीम/मुख्य शीर्ष–5054–सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष–03–राज्य राजमार्ग, लघु शीर्ष–796– जनजातीय क्षेत्र उपयोजना/उप शीर्ष–03–पुल/विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण–45–निर्माण कार्य के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

4. इस राशि के निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, सिमडेगा होंगे, तथा इस राशि की निकासी कोषागार, सिमडेगा से की जायेगी।

5. इस कार्य को निम्न वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के अनुरूप पूरा किया जाएगाः–

वित्तीय वर्ष	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य
2025–26	रू0 934.146 लाख	60%
2026–27	रू0 622.764 लाख	40%

6. मुख्य अभियंता (या0), पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची इस कार्य की प्रगति की समीक्षा प्रतिमाह नियमित रूप से करेंगें।

7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे यह देखें कि यदि ऐसी कोई योजना या कार्य के विरूद्व राशि व्यय की जा रही है जिसे दूसरे श्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है तो इसकी निकासी को रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी तथा विभाग को देगें।

8. प्रस्ताव पर माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री की स्वीकृति प्राप्त है।

9. प्रस्ताव पर योजना मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

10. इस पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

ह0/– 12/03/2026

सरकार के संयुक्त सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक– प0नि0वि0 / 06–योजना–60 / 2025 –1055(S) दिनांक–12/03/2026

प्रतिलिपिः– मुख्य अभियंता (याता0) पथ निर्माण विभाग, राँची / मुख्य अभियंता, केन्द्रीय निरूपण संगठन, पथ निर्माण विभाग, राँची / अधीक्षण अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ अंचल, राँची / कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, सिमडेगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. इस स्वीकृति में गुणवत्ता नियंत्रण हेतु राशि का प्रावधान सम्मिलित नहीं है ।

3. इस स्वीकृति में आकस्मिकता व्यय की राशि सम्मिलित है, जिसके आवंटन हेतु अधियाचना के साथ उचित प्रयोजन दर्शाया जाना आवश्यक होगा।

4. मुख्य अभियंता (या0), पथ निर्माण विभाग, राँची कार्य की अद्यतन प्रगति की समीक्षा कर प्रतिमाह अभियंता प्रमुख को प्रतिवेदन समर्पित करेगें।

12/03/2026

सरकार के संयुक्त सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक– प0नि0वि0 / 06–योजना–60 / 2025 –1055(S) दिनांक–12/03/2026

प्रतिलिपि :– मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची / विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची / मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची / प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग झारखण्ड, राँची का प्रकोष्ठ / सचिव, योजना एवं विकास विभाग, झारखण्ड, राँची / सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची / आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची / अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, झारखंड, राँची / उपायुक्त, सिमडेगा / संयुक्त सचिव, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड राँची / आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची / उप सचिव, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची / उप सचिव (प्र0) पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची / कार्यपालक अभियंता (अनुश्रवण), मुख्यालय, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची / कार्यपालक अभियंता (योजना एवं अण्वेषण), मुख्यालय, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची / कार्यपालक अभियंता, मु0, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची / योजना पदाधिकारी, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची / सहायक अभियंता (मुख्यालय), पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची / अवर सचिव, प्रशाखा–12, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची एवं सम्बन्धित प्रशाखा पदाधिकारी को (पाँच प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/03/2026

सरकार के संयुक्त सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक– प0नि0वि0 / 06–योजना–60 / 2025 – 1055(S) दिनांक–12/03/2026

प्रतिलिपि :– प्रधान महालेखाकार (अंकेक्षण), झारखण्ड, राँची / कोषागार पदाधिकारी, सिमडेगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/03/2026

सरकार के संयुक्त सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक– प0नि0वि0 / 06–योजना–60 / 2025 – 1055(S) दिनांक–12/03/2026

प्रतिलिपि :– प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची को सभी सम्बन्धित को ई–मेल (E-mail) से भेजने एवं ई–प्रोक्योरमेंट सेल, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, रांची को वेबसाईट www.jharkhand.gov.in/road पर upload करने हेतु प्रेषित।

12/03/2026

सरकार के संयुक्त सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
झारखण्ड, राँची।